(1)

गोविन्दसिंह बनाम नारायणसिंह

18/प्रा-पत्र/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निर्णय
28-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि वाद वर्णित आराजी के मूल खातेदार उम्मेदसिंह s/o भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी पचीपला थे मूल खातेदार के देहान्त होने पर वारिस राघोसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। राघोसिंह का देहान्त होने पर वारिस प्रार्थीगण का नाम अप्रार्थीगण के रूप दिनांक 28-5-1993 को अंकित किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण वाद वर्णित विवादित आराजी के कानूनी खातेदार है और काबिज काश्त है किन्तु राजस्व अधिकारियो द्वारा गलती से अप्रार्थीगण के पिताओ के नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज कर दिये गये। जबकि राघोसिंह के वारिस प्रार्थीगण है। जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में नामान्तकरण संख्या 103 दिनांक 30-7-1989 से मृतक उम्मेदसिंह के स्थान पर राघोसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह का नाम दर्ज हुआ एवं उसके पश्चात दिनांक 28-05-1993 से मृतक राघोसिंह के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित हुआ तत्पश्चात राजस्व अधिकारियो द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम अंकित कर दिये गये। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अंकित होने का नाजायज लाभ अप्रार्थीगण [illegible] प्रकरण विक्रय करने पर आमादा है और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को गये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गोविन्दसिंह बनाम नारायणगिरि . हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अन्तर्गत धारा 212 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 में स्पष्ट होता है कि मूल खातेदार उम्मेदसिंह के फौत होने पर वारिस के रूप में राधेगिरि का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ राधेगिरि के फौत होने पर उनके वारिस प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण स 103 की प्रति से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना पाया जाता है जो कि विरोधाभाषी प्रतीत होता है अतः वाद बाहुल्यता को देखते हुये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिकार साक्ष्य के आधार पर वादपत्र के निस्तारण पर होंगे जिसके निस्तारण में समय लगने से दौराने वाद किसी प्रकार की वाद बाहुल्यता नहीं बढे को मद्देनजर रखते हुए हम उभयपक्ष को पाबन्द करना उचित समझते है .	
अतः वाद वाली आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 0.0600 हैक्टर ख.न 647 रकबा 1.65 है. ख.न. 648 रकबा 2.00 हैक्टर किता-3 योग रकबा 3.71 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ में स्थित भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि [illegible] वाद विवादित आराजी [illegible] में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner